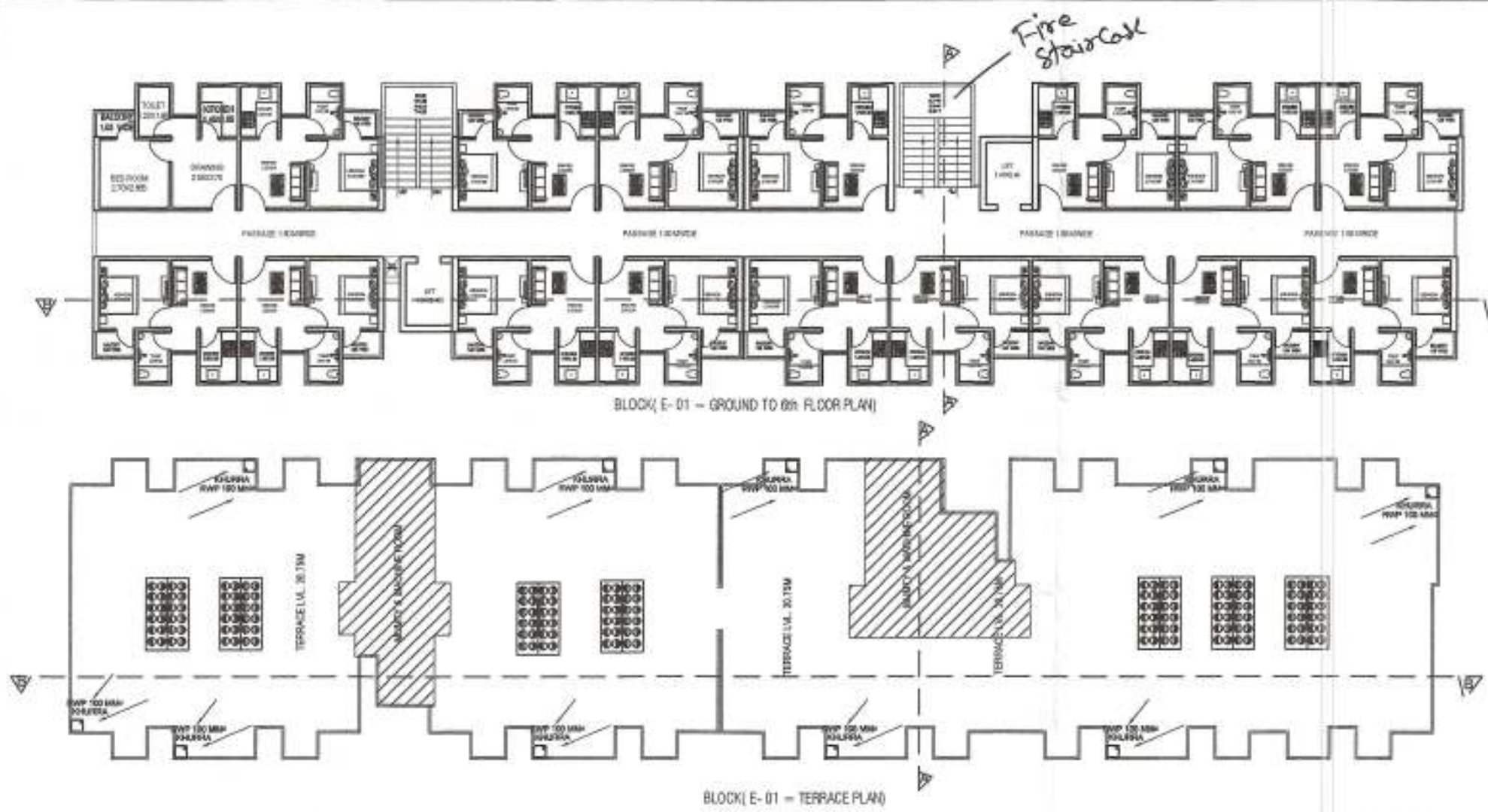
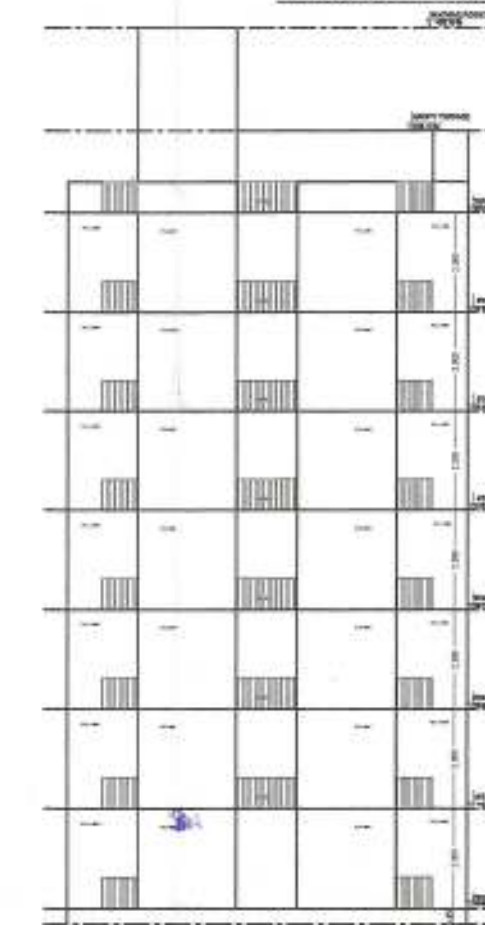
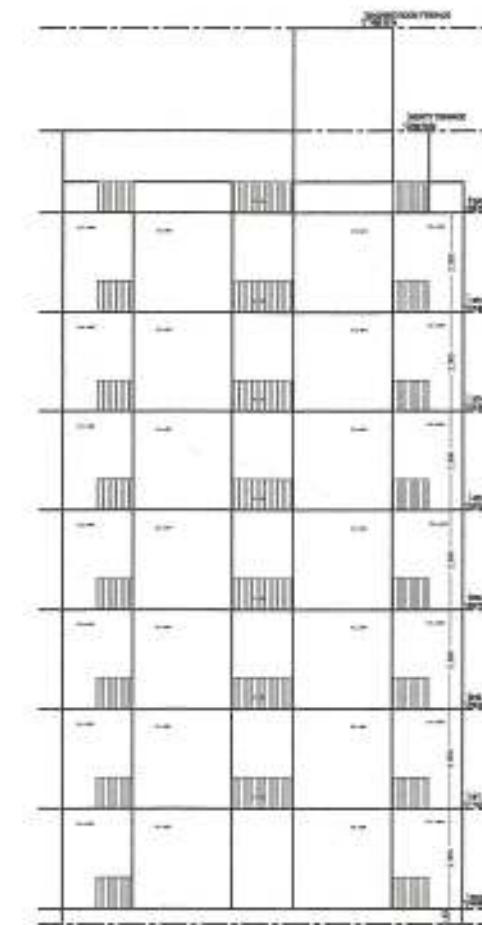
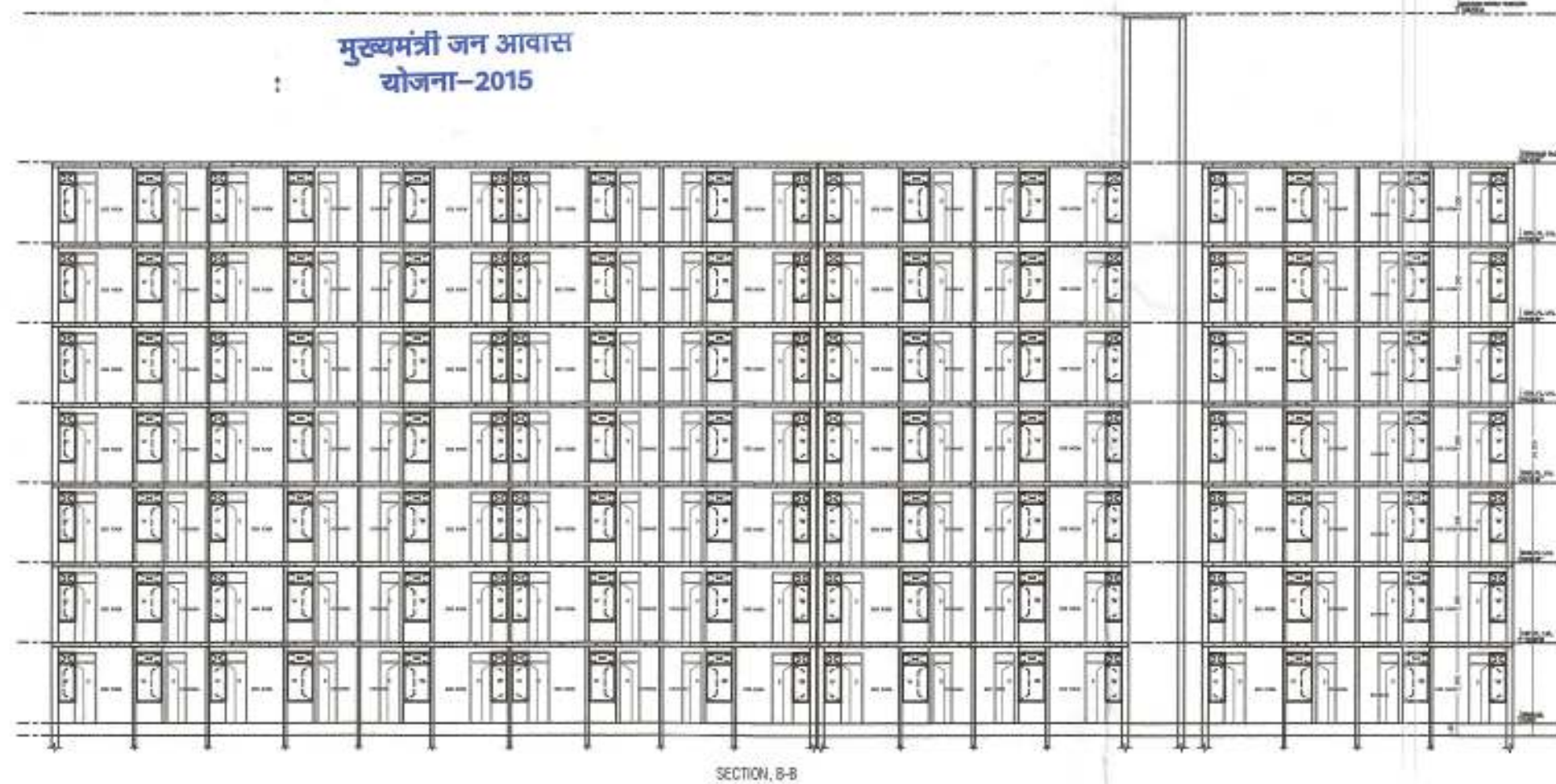




मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015



In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee D-28/04/17
One Set of Building Plans
Approved to be issued Along With
Letter No. 3168-6/17

RIGHT SIDE ELEVATION

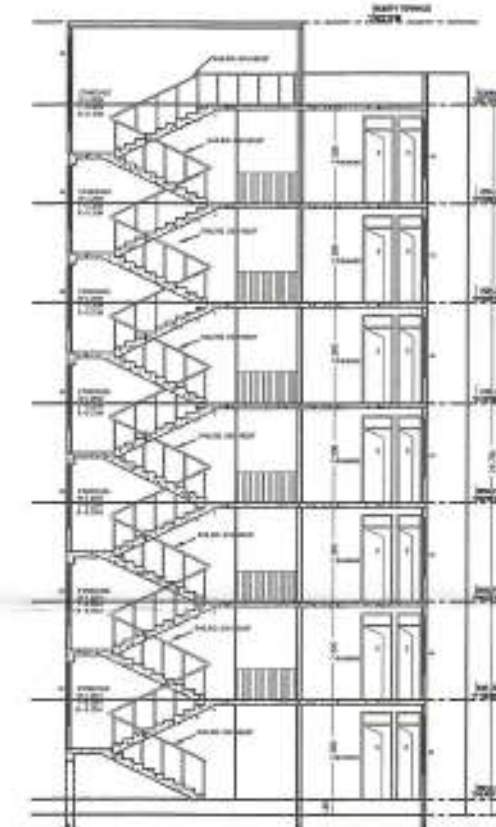
LEFT SIDE ELEVATION

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per M.B.C.
Norms.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जाएगा।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE



Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2005
की पालना में राज्य सरकार के परिसर दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण
पत्र" अर्थात् प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया
जाना अनिवार्य होगा।

Rain Water Harvesting Unit
Shell be Provided as per Rules.

"जहाँ सिंचे गये अनुमोदित मान-चित्रों में सभी
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

सहायक नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी.

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
मिवाडी.

PROJECT:-		
PROPOSED BUILDING PLAN OF CM JAN AWAAS GROUP HOUSING PROJECT AT KHABRA NO.-88, VILLAGE-PARDEA, TET, TANJAVUR DISTRICT		
DRAWING TITLE		
BLOCK-E 01 PLAN, ELEVATION & SECTION.		
DATE	SCALE	NORTH
13-04-2017	1:200	
ARCHITECT		
CREATIVE STUDIO ARCHITECT INTERIOR LANDSCAPE DESIGNER AR. MANSINGH MEENA B-01, BEHIND UIT OFFICE, BHAGAT SINGH COLONY, BHAWALI, ALWAR, MO. - 09490478315 EMAIL - mansingh1984@gmail.com - creativestudiobhawal@gmail.com		
ARCHITECT'S SIGNATURE	OWNER'S SIGNATURE	
CA/10/49305	For JAN AWAAS PROJECT	

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, मिवाडी न्यास
विनियम 2000 की धारा 8.18 के
द्वारा निर्देशों के अनुसार वर्णित
संरचना का प्रस्तावित भवन में विशेष
सावधान रखा जाये अन्यथा नो विं
न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नगर विकास न्यास, मिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के द्वारा
निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से
विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित
भवन में विशेष प्रावधान रखा जा-
अन्यथा नो विं न्यास द्वारा भवन निर्माता
विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

नियुक्त सेवा में नलकरी एवं, जल, पानी, निवास
अन्य सम्पत्ति आदि सेवाओं के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।

Parking Area Will Be UI's Property

इस मानचित्र का अनुमोदन मिवाडी नो
न्यास द्वारा प्रमाणित भूमि/भूखण्ड की प्राप्ति
रकबाधिक का प्रमाण-पत्र नहीं बाधा
जारी। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
न्यासी अधिकारी ही प्रमाणित होगा।
नो न्यास से पानी गहर करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।
नो न्यास से पानी गहर करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण पत्र" अनिवार्य प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the construction checked at plan level before proceeding for further construction.

Parking Area Will Be UTI's Property

लॉर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान विधान जावेगा।

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में छात्रों गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दृष्टिपूर्व प्रार्थी का भी होना।" Adequate Light and Ventilation to be Provided as per M.C.C. Norms.

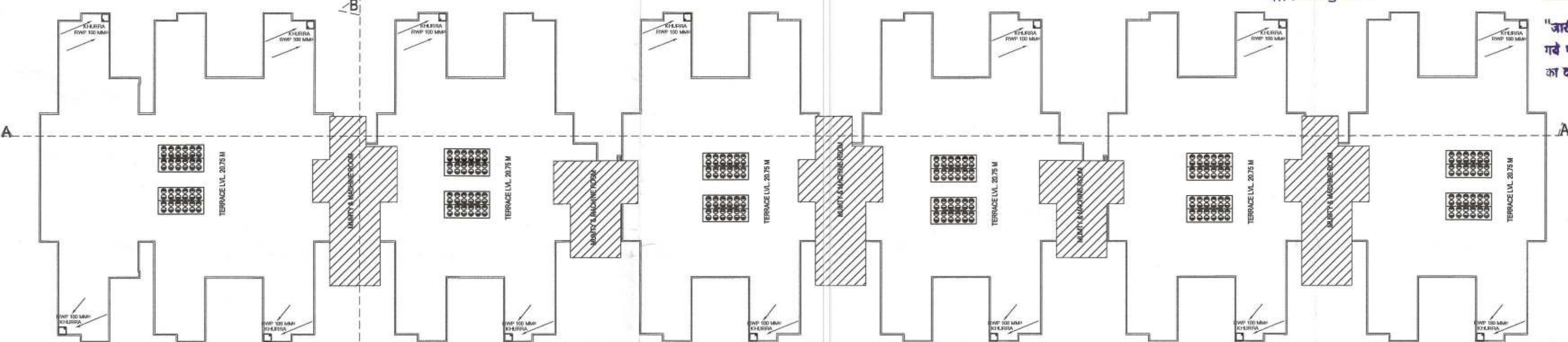
In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt. 29.04.17 One Set of Building Plans Approved is Issued Along With Letter No. Dt. 19.05.17 3168-69/17



BLOCK L-02 (GROUND TO 6th FLOOR PLAN)

एक लगाओ-हरियाली बंदोबस्त

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।



TERRACE FLOOR PLAN

मुख्यमंत्रा जन आवास योजना-2015

अनुमोदित

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्गाजल संयोजन का प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अथवा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे अथवा न० वि० न्यास द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निफास आदि शक्ति सेवाएं नेशनल सिस्टिम कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भवन निर्माण प्रमाण पत्र/भूखण्ड के जारी करने के लिए प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वतंत्र अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

सहायक नगर निवेशक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर निवेशक
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)



FRONT SIDE ELEVATION

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO FIVE YEAR FROM DATE OF ISSUE

PROJECT :-

PROPOSED BUILDING PLAN OF CM JAN AWAS GROUP HOUSING PROJECT AT KHASRA NO. 28, VILLAGE - RABDI, TEH. TIARA, DIST. ALWAR (RAJ.)

DRAWING TITLE

BLOCK -L02
PLAN & ELEVATION

DATE

13-04-2017

SCALE

1:200

NORTH



ARCHITECT

CREATIVE STUDIO

ARCHITECT INTERIOR LANDSCAPE DESIGNER
AR. MANSINGH MEENA
B-51, BEHIND UTI OFFICE, BHAGAT SINGH COLONY,
BHIWADI, ALWAR. MO:- 09450478315
EMAIL:- mansingh1984@gmail.com
- creativestudiobhiwadi@gmail.com

ARCHITECT'S SIGNATURE

OWNER'S SIGNATURE

AR. MANSINGH MEENA
CA/10149305
B-51, BEHIND UTI OFFICE, BHAGAT SINGH COLONY,
BHIWADI, ALWAR. MO:- 09450478315
EMAIL:- mansingh1984@gmail.com
- creativestudiobhiwadi@gmail.com

For JAN AAWAS PROJECT

PARTNER

मुख्यमंत्री जन आवास
योजना-2015

अनुमोदन

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 8.15 के
दिशा निर्देशों के अनुसार वर्षाजल
संग्रहण का प्रस्तावित भवन में विशेष
प्रावधान रखा जावे अन्यथा नं० १०
न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के दिशा
निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से
विकलांग व्यक्तियों के निर्वहण प्रस्ताव
भवन में विशेष प्रावधान रखा जावे
अन्यथा नं० १० न्यास द्वारा भवन निर्माता
विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

REAR SIDE ELEVATION

विद्युत सेवा में नलकारी एवं जल, मल, निकास
अग्नि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाषा प्रमाणित भूमि/भूखण्ड के ह्रासि
स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जावेगा। और न ही इससे किसी के ह्रासि
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 29000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "वर्षाचरण प्रमाण
पत्र" अनिवार्य प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया
जाना अनिवार्य होगा।

Parking Area Will Be UTI's Property
और ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules.

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में काले
गठे भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दायित्व शर्मा का ही होगा।"

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

SECTION, A-A

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee No. 28.04.12
One Set of Building Plans
Approved is issued Along With
Letter No. 3168-69/12 Dt. 19.05.12

सहायक नगर विकास अधिकारी
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर विकास अधिकारी
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

SHEET NO:- 04

PROJECT :-

PROPOSED BUILDING PLAN OF CM JAN AAWAS GROUP HOUSING PROJECT
AT KHASRA NO. 28, VILLAGE - RABKA, TEH. TIARA, DIST. ALWAR (RAJ)

DRAWING TITLE

BLOCK - L 02
ELEVATION & SECTION

DATE

13-04-2017

SCALE

1:200

NORTH



ARCHITECT

CREATIVE STUDIO

ARCHITECT INTERIOR LANDSCAPE DESIGNER
AR. MANSINGH MEENA
B-81, BEHIND UIT OFFICE, BHAGAT SINGH COLONY,
BHIWADI, ALWAR, MO: 09460478315
EMAIL: mansingh1984@gmail.com
creativestudiohiwadi@gmail.com

ARCHITECT'S SIGNATURE

OWNER'S SIGNATURE



For JAN AAWAS PROJECT

PARTNER

SECTION, B-B

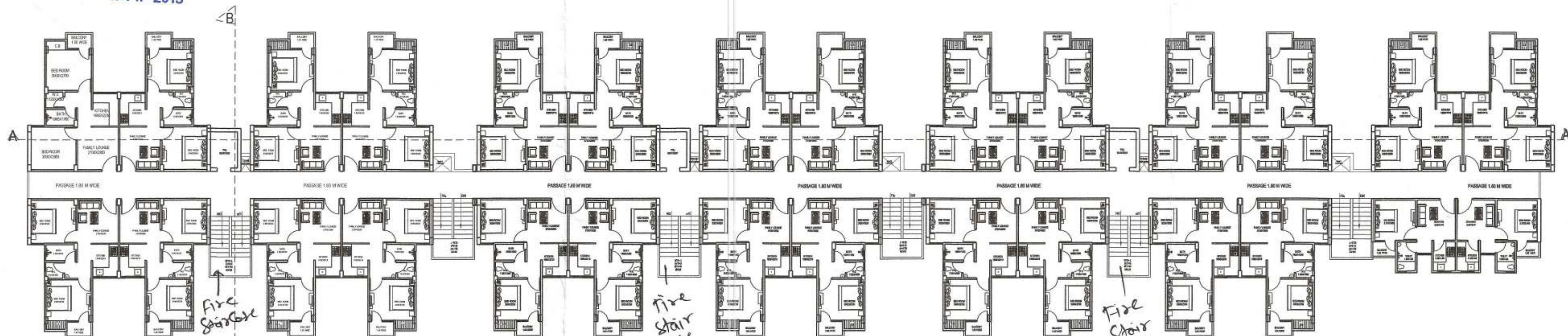
LEFT SIDE ELEVATION

RIGHT SIDE ELEVATION



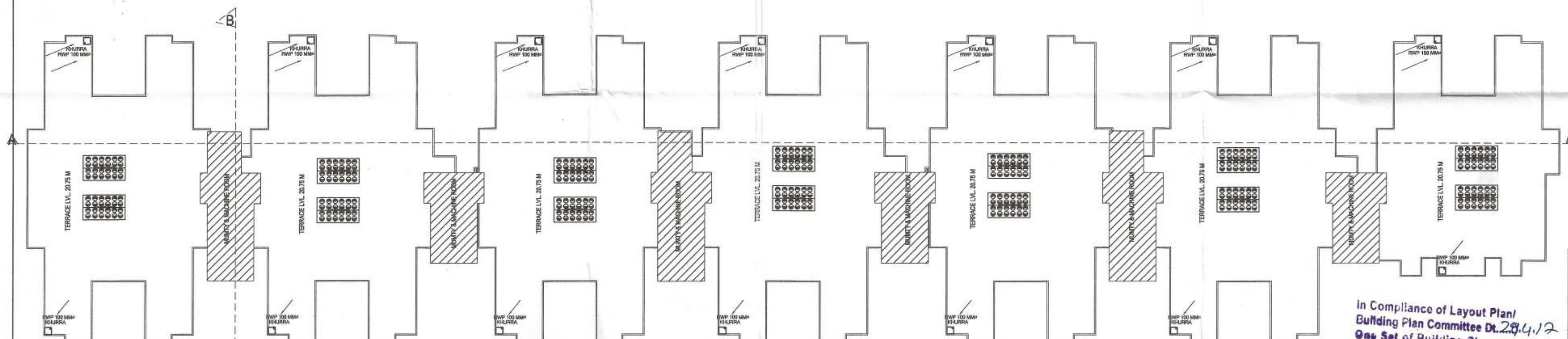
मुख्यमंत्री जन आवास
योजना-2015

BLOCK L-03 (GROUND FLOOR PLAN)



अनुमोदित

BLOCK L-03 (FRIST TO 6th FLOOR PLAN)

BLOCK - L 03
TERRACE PLAN

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per M.C.
Norms.

Parking Area Will Be UT's Property

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
विद्यमानुसार प्रावधान किया जावे।

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

केडू लगाओ-हरिवासी कड़ेओ

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 8.16 के
द्वारा निर्धारित के अनुसार वार्डन
संघर्ष का हस्ताक्षर भवन में विशेष
प्राधान्य रखा जावे अन्वया न० १०
न्यास द्वारा भवन निर्माता के विरुद्ध
नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नगर विकास न्यास, भिवाडी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के द्वारा
निर्धारित के अनुसार शारीरिक रूप से
विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित
भवन में विशेष प्राधान्य रखा जावे
अन्वया न० १० न्यास द्वारा भवन निर्माता
विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

शुद्ध सेवा में नलकरी एवं जल, मल, निकास
आदि शक्ति आदि सेवाएं नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
अनुसार/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।

इस भवनचित्र का अनुमोदन किसी भी
नगर विकास न्यास/भवनचित्र के द्वारा
नगर विकास न्यास/भवनचित्र का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी की प्रमाणित होगी।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
की प्रावधानों में राज्य सरकार के वरिष्ठ दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रमाण
पत्र" अन्वयित प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया
जाना अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

"जारी किये गये अनुमोदित भवन-चित्रों में किसी
नये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का निर्माण नहीं किया जावेगा।"

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 28.4.17
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. 3168-69/17
Dt. 17.05.17

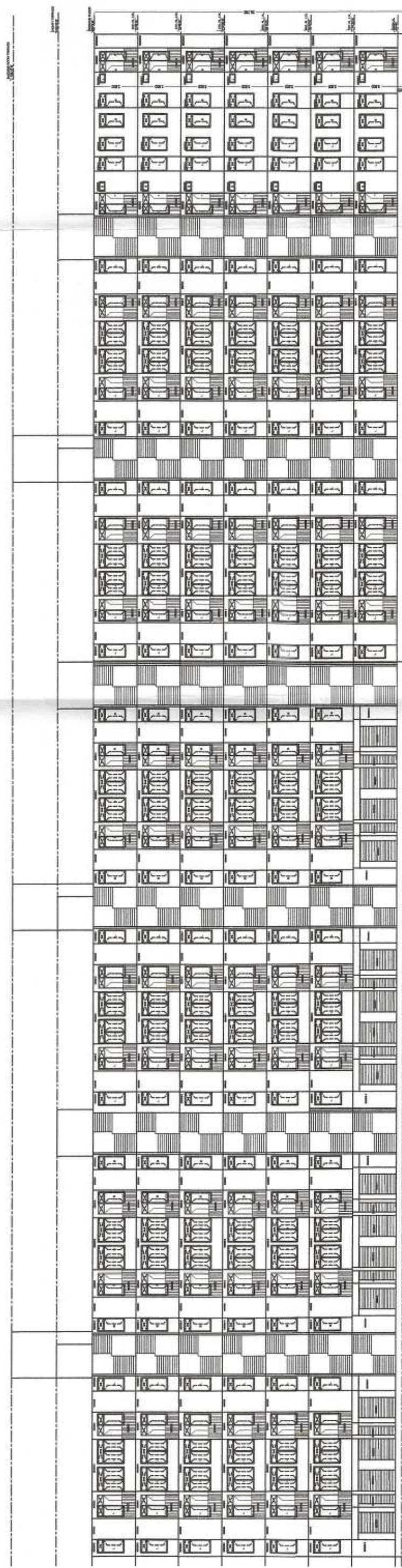
सहायक नगर विकास
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

वरिष्ठ नगर विकास
नगर विकास न्यास
भिवाडी (अलवर)

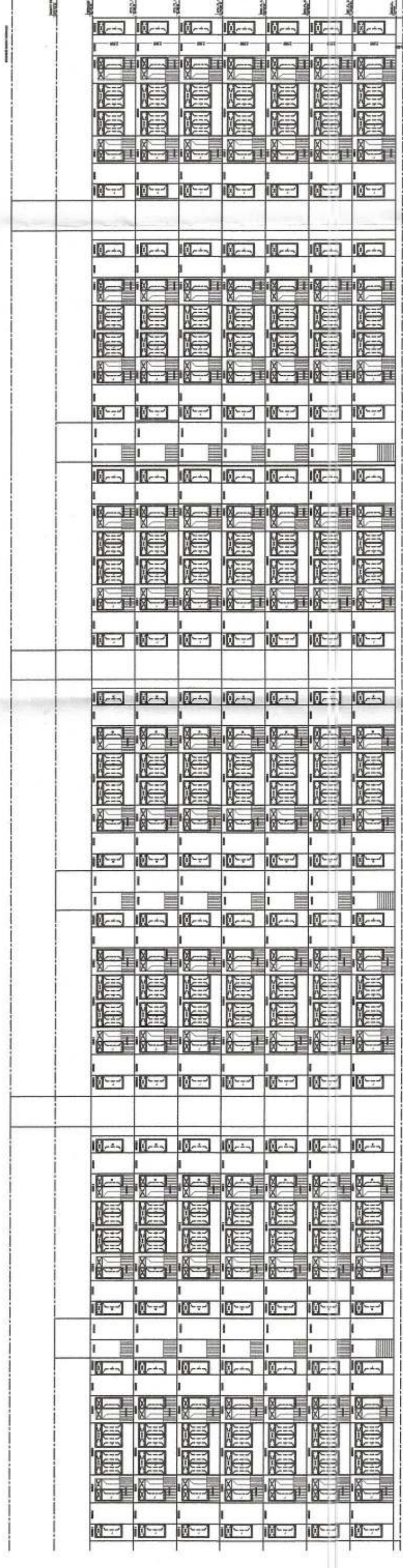
SHEET NO:- 05	
PROJECT :-	
PROPOSED BUILDING PLAN OF CH ANA GROUP HOUSING PROJECT AT BHAWA NO. 10, PLOT-10, BHAWA (NORTH SIDE)	
DRAWING TITLE	BLOCK - L 03 FLOOR PLAN
DATE	SCALE
13-04-2017	1:200
NORTH	
ARCHITECT	
CREATIVE STUDIO ARCHITECT INTERIOR LANDSCAPE DESIGNER AS, BHAWA (NORTH SIDE) B-4, BHAWA UT OFFICE, BHAWA SINGH COLONY, BHAWA (NORTH SIDE), BHAWA (NORTH SIDE) BHAWA (NORTH SIDE), BHAWA (NORTH SIDE) BHAWA (NORTH SIDE), BHAWA (NORTH SIDE)	
ARCHITECT'S SIGNATURE	OWNERS SIGNATURE
C.O.A CA/10/49305	

for JAN ANA PROJECT
PART

SHEET NO:- 07



FRONT SIDE ELEVATION



REAR SIDE ELEVATION



ये स्लाइड-रिहाली योओ
अच्छे क्षेत्र का उपयोग केवल
परिष्कार हेतु किया जाएगा।

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per M.C.C.
Norms.

SHEET NO:- 06

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO FIVE YEAR
FROM DATE OF ISSUE

PROPOSED BUILDING PLAN OF CHAN AAWAS GROUP HOUSING PROJECT
AT KHARSA NO-18, ALIAGE - KHARSA, TEH. TUMAKUR, DIST. ALWAR (RAJ.)

DRAWING TITLE		BLOCK 4.03 ELEVATION & SECTION	
DATE	13-04-2017	SCALE	1:200
		NORTH	

ARCHITECT
CREATIVE STUDIO
ARCHITECT, INTERIOR, LANDSCAPE DESIGNER
AR. MANSINGH MEENA
B-81, BEHIND UIT OFFICE, BHAGAT SINGH COLONY,
BHWADI, ALWAR, MO. - 09-80478315
EMAIL - mansingh1984@gmail.com
- creativestudiohshwadi@gmail.com

OWNER'S SIGNATURE

For JAN AAWAS PROJECT
PART 1

ARCHITECT'S SIGNATURE

In Compliance of Layout Plan
Building Plan Committee Order No. 14/2006
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along With
Letter No. 14/2006 Dt. 17.07.17

RIGHT SIDE ELEVATION

भारत सरकार की अधिनियम दिनांक 14.09.2006
की पालना में राजस्थान सरकार के अधिनियम दिनांक
04.02.2011 के अधिनियम दिनांक 04.02.2011 के अधिनियम
का निर्माण प्रारंभ करने के लिए 'परमिट' का प्रारंभ
पत्र' अंगीकृत प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
आपका अनिवार्य होगा।

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
author construction.

"जारी किए गये अनुमोदित मान-चित्रों में दाईं
शेड के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
नए बंधन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का दृष्टिकोण नहीं होना।"

भारत सरकार, विकास, विवादी भवन
विनियम 2000 की धारा 12 के तहत
निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से
विकास के लिए निर्धारित क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल
भवन में विशेष प्रावधान रखा गया है।
अपना कोई भी न्याय द्वारा भवन निर्माण के
विवाद निवारण के लिए कार्यवाही की जावेगी।
लेख उक्तों से पानी गटव करने का
निर्माण प्रारंभ किया जावे।
Parking Area Will Be Left As Requested

मुख्यमंत्री जन आवास
योजना-2015

अनुमोदित